[2021] 3 उम. नि. प. 218

पारुबाई

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

[2018 की दांडिक अपील सं. 1154]

10 अगस्त, 2021

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 436 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – रात्रि में मकान में आग लगने से मृतका और उसके बालकों को पहुंची दाह-क्षतियों से मृत्यु हो जाना – अभियुक्त-अपीलार्थी (दूसरी पत्नी) को उसके द्वारा मृतका (पहली पत्नी) और उसके बालकों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने के आधार पर दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – मृतका द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में अभियुक्त सहित किसी व्यक्ति पर कोई संदेह व्यक्त न किया जाना – जहां अभियुक्त तथा मृतका और उसके बालक एक ही कमरे में सो रहे थे और कमरे में लगी आग में अभियुक्त को कोई क्षति नहीं पहुंची थी और वह सुरक्षित बाहर निकल आई थी, वहां हेतु के अभाव में और श्रृंखला में की अन्य परिस्थितियां सिद्ध न होने के कारण अभियुक्त द्वारा कमरे में आग लगने के कारण को स्पष्ट करने में असफल रहने की बात को उसके विरुद्ध अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है और उसकी दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने के कारण उसे दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इस मामले के तथ्य यह हैं गुलाब पुत्र गजानन वातने का विवाह मृतका मंडाबाई के साथ हुआ था और उनके दो बालक अर्थात् एक पांच वर्षीय पुत्र आकाश और दो वर्षीया पुत्री निकिता थे । उक्त गुलाब के अपीलार्थी के साथ विवाहेत्तर संबंध थे और अंततोगत्वा तारीख 22 जनवरी, 2006 को उसके साथ विवाह कर लिया तथा तारीख 18 फरवरी,

2006 को अपने विवाह को रजिस्ट्रीकृत करा लिया । उसके पश्चात् अपीलार्थी भी अपने पति और पहले विवाह से पत्नी मंडाबाई के साथ रह रही थी । गुलाब के माता-पिता भी उनके साथ रह रहे थे और छोटे से मकान में रहते थे जिसमें तीन कमरे थे । मकान का एक कमरा उनके नौकर अर्थात् पीराजी मंकारी के पास था । अभियुक्त-अपीलार्थी का पति गुलाब तारीख 2 अगस्त, 2006 को ट्रैक्टर के लिए टायर लेने के लिए गया था । सास अपनी पुत्री के स्थान पर प्रसव में उसकी सहायता करने के लिए गई थी । तारीख 2/3 अगस्त, 2006 की मध्यवर्ती रात्रि में आग लगने की एक घटना घटी और जिस मकान में अपीलार्थी और उसका परिवार रह रहे थे वह आग से जल गया । अपीलार्थी, जो मकान में ही थी, ठीक-ठाक बाहर निकल आई थी जबकि गुलाब की पहली पत्नी मंडाबाई और उनकी पुत्री निकिता दाह क्षतियों के साथ मकान से बाहर निकली थी, जबकि उनके पुत्र आकाश की मकान के अंदर ही जलकर मृत्यु हो गई थी । अपीलार्थी का ससुर कथित रूप से मकान के बाहर एक चारपाई पर सो रहा था और हड़बड़ाहट में उठने पर उसने अपनी पुत्रवधु मंडाबाई और पौत्री निकिता को पहुंची क्षतियों को देखकर अपने नौकर पीराजी मंकारी को एक जीप लाने और उन्हें अस्पताल स्थानांतरित करने का निदेश दिया जहां अगले दिन उक्त मंडाबाई और उसकी पुत्री निकिता की उन्हें पहुंची दाह क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अपीलार्थी के ससुर अर्थात् गजानन ने एक शिकायत दर्ज की और अपीलार्थी को भी आलिप्त किया । इस आलोक में, मृतका की बहिन छाया द्वारा किए गए अभिकथन को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के पति और सास को भी सम्मिलित किया गया तथा अपराध के लिए उन्हें अभियुक्त सं. 2 और 3 के रूप में आरोपित किया गया । विचारण न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त सं. 2 और 3 के विरुद्ध मामले को साबित नहीं किया गया है और उन्हें आलिप्त करने के लिए अभि. सा. 2 का साक्ष्य भरोसेमंद नहीं है । तथापि, जहां तक इस अपील में अपीलार्थी का संबंध है, सेशन न्यायालय ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के इस साक्ष्य पर विचार किया कि अपीलार्थी भी मृतका के साथ सो रही थी और उस परिस्थिति में यह राय व्यक्त की कि यदि मकान में दुर्घटनावश आग लगी थी तब अपीलार्थी को भी

क्षतियां पहुंचनी चाहिए थी । चूंकि वह किन्हीं क्षतियों के बिना मकान से बाहर आई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह दोषी है । उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए न्यायिकेतर संस्वीकृति की बात को त्यक्त कर दिया और अभि. सा. 1 के साक्ष्य को भी अविश्वसनीय माना, जिसका सेशन न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया था । उच्च न्यायालय का यह मत था कि गजानन (अभि. सा. 1), ससुर, जो इत्तिलाकर्ता था, अपीलार्थी को अपने पुत्र की दूसरी पत्नी के रूप में खुशी-खुशी स्वीकार नहीं कर सकता था जबकि वह पहले से ही मृतका मंडाबाई के साथ विवाहित था । उच्च न्यायालय के लिए यही कारण था कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से ससुर को की गई इस न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब लेना उचित नहीं समझा कि उसने मिट्टी का तेल छिड़का था और आग लगा दी थी । उच्च न्यायालय ने उसके पश्चात् अपीलार्थी के बताने पर, जब वह पुलिस अभिरक्षा में थी, मिट्टी के तेल की केन की बरामदगी के संबंध में विजय (अभि. सा. 4) और पुलिस उप निरीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार किया । इस बरामदगी को अविश्वसनीय पाया गया चूंकि उक्त केन को रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था । अत: सेशन न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई उक्त परिस्थिति को भी त्यक्त कर दिया गया । इसके अतिरिक्त, मौखिक मृत्युकालिक कथन, जो कथित रूप से मृतका की एक बहिन छाया (अभि. सा. 2) को किया गया था, पर विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा इसका भी अनुमोदन किया गया और इसे विश्वसनीय नहीं पाया गया । पुलिस हैड कांस्टेबल द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर विचार किया गया । उच्च न्यायालय अंततोगत्वा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी अपराध कारित करने की दोषी है चूंकि स्वीकृत रूप से अपीलार्थी को आग के कारण थोड़ी-सी भी क्षति नहीं पहुंची थी जिसका यह अर्थ है कि वह आग फैलने से पहले ही घर से निकल गई थी । उच्च न्यायालय ने आगे यह धारणा बनाई कि उसने तुरंत शोर नहीं मचाया था और तब तक प्रतीक्षा की थी जब तक मृतका मंडाबाई और उसके बालक पूरी तरह से आग की लपटों में घिर नहीं गए थे । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय

से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को युक्तियुक्त संदेह के परे निष्कर्ष पर पहुंचने की बजाय कमोवेश अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर दोषी अभिनिर्धारित किया है । यद्यपि उसने अपने अंतिम पैरा में 'युक्तियुक्त संदेह के परे' वाक्यांश का प्रयोग किया है, तो भी इससे पूर्ववर्ती दिए गए कारण केवल अटकलबाजी और अनुमान हैं । उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य के प्रतिनिर्देश करते हुए उल्लिखित एकमात्र परिस्थिति यह है कि मृतका नितिका का जला हुआ फ्रॉक एक पंचनामा (प्रदर्श-34) द्वारा अभिगृहीत किया गया था और अभि. सा. 8 का यह साक्ष्य है कि फ्रॉक को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था और रिपोर्ट, प्रदर्श-50, के अनुसार यह दर्शित होता है कि फ्रॉक पर मिट्टी के तेल के अवशेष पाए गए थे । इस परिस्थिति में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका नितिका को आग लगाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया गया था । यदि इस बात को श्रृंखला की एक परिस्थिति के रूप में लिया गया था, तो भी श्रृंखला में की अन्य परिस्थितियां अपीलार्थी की ओर इंगित करने के लिए इसमें जुड़े बिना यह परिस्थिति अपर्याप्त थी । इस संबंध में, उल्लेखनीय सुसंगत बात यह है कि उच्च न्यायालय ने अपने कारणों के पूर्ववर्ती भाग में केन, जिसमें से कथित रूप से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, की बरामदगी को अविश्वसनीय माना था चूंकि उक्त केन को रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था और उस परिस्थिति पर भी विश्वास नहीं किया था जिसमें इसे कथित रूप से बरामद किया गया था । ऐसी स्थिति में, यदि फ्रॉक के प्रतिनिर्देश करते हुए रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है तो अभिलेख पर यह संबद्ध करने के लिए कुछ नहीं है कि अपीलार्थी मिट्टी का तेल छिड़कने के लिए या निकिता के फ्रॉक को, जो कथित रूप से घटनास्थल से बरामद हुआ था, मिट्टी के तेल के संपर्क में लाने के लिए उत्तरदायी थी । इसके अतिरिक्त, मृतका मंडाबाई के तारीख 3 अगस्त, 2006 के कथन से यह प्रकट होता है कि चूंकि खेत में विद्युत नहीं है इसलिए वे मकान में सोते थे और

रात्रि में एक लालटेन की रोशनी रखते थे जिसके लिए निश्चित रूप से मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त, साक्ष्य में यह आया है कि उक्त मकान में भोजन भी बनाया जाता है और डीजल केन सहित ट्रैक्टर से संबंधित सामग्री भी उसमें रखी जाती है । इसलिए यह परिस्थिति कि अपीलार्थी इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, फ्रॉक पर मिट्टी के तेल के धब्बों की मौजूदगी का अवलंब लेने के लिए ऐसी परिस्थिति के रूप में आधार नहीं हो सकता है कि उसने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई थी । विधि की यह स्थिति सुस्थिर है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ियों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है । इस पृष्ठभूमि में, प्रस्तुत मामले में सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का परिशीलन करने पर किसी प्रबल आधार के बिना दोषसिद्धि करने हेतु इनके अंतिम निष्कर्ष के लिए दिए गए कारण संदेहास्पद बन गए हैं । संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है । दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी प्रकृति की मताभिव्यक्तियां करते हुए, जो ऊपर उद्धृत की गई हैं, उसने अंततोगत्वा यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध किया है कि वह अपीलार्थी ही है जिसने अभियुक्त सं. 2 के साथ अपने वैवाहिक जीवन से मंडाबाई और उसके बालकों को हटाने के लिए उन्हें आग लगाई थी । यदि तथ्यों से, जिनका उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, ऐसा संदेह पैदा होता है तो समान रूप से ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनसे यह संदेह पैदा होता है कि क्या अपीलार्थी को केवल इस कारण दोषी ठहराया जा सकता है कि वह घटना में क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी । इस संबंध में, उल्लेखनीय बात यह है कि मानवीय स्वभाव यह है कि जब कोई घटना या दुर्घटना होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया घटनास्थल से दूर हट जाना और अपने आप को बचाने का होता है । यदि मध्य रात्रि में किसी भी कारण से आग लग गई थी और यदि अपीलार्थी जाग उठी थी तथा उसने आग को थोड़ा पहले देख लिया था तो यह स्वाभाविक आचरण है कि जल रहे मकान के अंदर जाकर अन्य निवासियों का हालचाल जानने के बजाय मकान से बाहर भागा जाए । मकान के अंदर वापस जाकर किसी अन्य व्यक्ति को

बचाने के लिए व्यक्ति में अत्यधिक साहस चाहिए या वह अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए और संकट में अपने साथ रह रहे व्यक्ति की सहायता करने के लिए ऐसा न करने से इसे नैतिक रूप से तो गलत समझा जा सकता है किंतु इसे किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए तब तक ऐसी परिस्थिति नहीं कही जा सकती है जो हत्या जितनी गंभीर हो, जब तक कि श्रृंखला में की अन्य परिस्थितियां अभियुक्त को इंगित न करती हों जिनसे उसके दोषी होने का अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकाला जा सके । यदि अपीलार्थी मंडाबाई को जान से मारने के आशय से आग लगाने के लिए उत्तरदायी थी, तो क्या उसने मकान से बाहर आने के पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिए मकान का दरवाजा बंद नहीं किया होता कि वह बाहर न आ सके । दूसरी ओर, मंडाबाई, जो जीवित बाहर आई थी और एक दिन जीवित रही थी, ने अपीलार्थी सहित किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगाया था या संदेह नहीं किया था । यदि अपीलार्थी किसी कृत्य में अंतर्ग्रस्त होती तो मंडाबाई द्वारा उस स्पष्ट कृत्य के बारे में बताया होता । उसका यह स्पष्ट कथन है कि मकान में आग लग गई थी तथा उसे और उसके बालकों को आग लग गई थी । उसने यह कथन नहीं किया था कि उसे लगाई गई आग मकान में फैल गई थी । इसके अतिरिक्त, यहां तक कि अभि. सा. 1 अर्थात् ससुर गजानन का भी यह कथन है कि वह ठीक मकान के बाहर सो रहा था और अपीलार्थी की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह जाग उठा था और मृतका ने यह कथन किया था कि जब वह बाहर आई थी वह जागा हुआ था । उसने मृतका को बचाने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कुछ नहीं किया था । अपितु मृतका और पौत्री के मकान से बाहर आने के पश्चात् ही कदम उठाए गए थे । एक अन्य परिस्थिति यह भी है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि मकान में तीन कमरे थे, जिनमें से एक अभि. सा. 3 पीराजी मंकारी और उसके परिवार के अधिभोग में था और आग की दुर्घटना ऐसी थी जिसमें संपूर्ण मकान और साथ लगती गोशाला आदि भी बर्बाद हो गए थे । इस स्थिति में भी उक्त पीराजी मंकारी और अन्य व्यक्ति भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे । अत: क्षतिग्रस्त न होने की बात को ऐसी परिस्थिति के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जिससे मकान को आग लगाने के लिए किसी व्यक्ति को दोषी

ठहराया जा सके । उच्च न्यायालय ने इसके पश्चात् दूसरे विवाह, घरेलू वर्चस्व की इच्छा और तारीख 17 फरवरी, 2006 को अर्थात् विवाह के रजिस्ट्रीकरण से एक दिन पूर्व भरणपोषण के लिए दस्तावेज के निष्पादन को परिस्थिति के रूप में अभिनिर्धारित किया है, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं । इसका कारण यह है कि पहली पत्नी के पक्ष में भरणपोषण के लिए संपत्ति के केवल एक भाग के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् विवाह रजिस्ट्रीकृत किया गया था जो कि ऐसी परिस्थिति में एक प्रसामान्य बात है और इसे वहां वर्तमान प्रकृति के अभिकथित अपराध के लिए एक प्रबल हेतु के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जहां अपीलार्थी स्वयं अपने मकान को नष्ट करती और वह भी कोई अन्य घटना न हुए बिना जब वे उसी मकान में एक-साथ रहते थे और आग लगने की घटना विवाह की तारीख से छह माह से अधिक समय के पश्चात् घटी थी । इसलिए यदि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाए तो जो संदेह मन में उद्भूत होते हैं वे अपीलार्थी को इंगित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस परिस्थिति में निश्चित रूप से संदेह का फायदा अपीलार्थी के पक्ष में जाना चाहिए । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को मृतका और उसके बालकों पर मिट्टी का तेल छिड़कने और उन्हें आग लगाने का इसलिए दोषी अभिनिर्धारित करना, चूंकि अपीलार्थी आग लगने के कारण को स्पष्ट करने में असफल रही थी, धारा 106 के अधीन स्पष्ट करने की ऐसी बाध्यता को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान परिस्थिति में संधार्य नहीं है । प्रस्तुत मामले में, चूंकि श्रृंखला में की अन्य परिस्थितियां सिद्ध नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अपीलार्थी के विरुद्ध अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है । दूसरी ओर, पक्षकथन ही यह है कि आग अर्धरात्रि में तब लगी थी जब अपीलाथी और अन्य व्यक्ति सो रहे थे और वह चिल्लाते हुए बाहर आई थी । अपीलार्थी द्वारा आग लगने के कारण का स्पष्टीकरण देना केवल तब उद्भूत होता यदि इस आशय का कोई अन्य साक्ष्य होता कि अपीलार्थी पहले से जागी हुई थी और आग लगने से पहले ही बाहर थी । इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने की हकदार है क्योंकि संदेह का

फायदा उसके पक्ष में जाता है । अत: यह न्यायालय अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आदेश को कायम नहीं रख सकता है । (पैरा 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 19 एस. सी. सी. 447 : **देवी लाल** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	14
[1985]	[1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 : **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	13, 14, 18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 1154.

2007 की दांडिक अपील सं. 488 में बंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद न्यायपीठ के तारीख 12 अक्टूबर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री सुधांशु एस. चौधरी, महेश पी. शिंदे और (सुश्री) रुचि पांडे

प्रत्यर्थी की ओर श्री सचिन पाटिल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना ने दिया ।

न्या. बोपन्ना – अपीलार्थी 2007 की दांडिक अपील सं. 488 में बंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद न्यायपीठ द्वारा तारीख 12 अक्टूबर, 2017 को पारित किए गए निर्णय को चुनौती देते हुए इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष आया है । उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय द्वारा इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी थी और विद्वान् सेशन न्यायाधीश, परभनी द्वारा 2007 के सेशन मामला सं. 27 में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 436 के अधीन दंडनीय अपराध की बाबत दोषसिद्ध करते हुए तारीख 16 नवंबर, 2007 को पारित किए गए निर्णय की पुष्टि की है ।

2. अपीलार्थी को अपराध के लिए अभियुक्त सं. 1 के रूप में जबकि उसके पति गुलाब और उसकी माता अर्थात् अपीलार्थी की सास को अभियुक्त सं. 2 और 3 के रूप में आरोपित किया गया था । अभियुक्त सं. 2 और 3 को सेशन न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था । इस दृष्टि से, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में और प्रस्तुत अपील में विचारणा अपीलार्थी की दोषसिद्धि तक सीमित है जो कि अभियुक्त सं. 1 है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि गुलाब पुत्र गजानन वातने का विवाह मृतका मंडाबाई के साथ हुआ था और उनके दो बालक अर्थात् एक पांच वर्षीय पुत्र आकाश और दो वर्षीया पुत्री निकिता थे । उक्त गुलाब के अपीलार्थी के साथ विवाहेत्तर संबंध थे और अंततोगत्वा तारीख 22 जनवरी, 2006 को उसके साथ विवाह कर लिया तथा तारीख 18 फरवरी, 2006 को अपने विवाह को रजिस्ट्रीकृत करा लिया । उसके पश्चात् अपीलार्थी भी अपने पति और पहले विवाह से पत्नी मंडाबाई के साथ रह रही थी । गुलाब के माता-पिता भी उनके साथ रह रहे थे और छोटे से मकान में रहते थे जिसमें तीन कमरे थे । मकान का एक कमरा उनके नौकर अर्थात् पीराजी मंकारी के पास था । जब यह स्थिति थी, अपीलार्थी का पति गुलाब तारीख 2 अगस्त, 2006 को ट्रैक्टर के लिए टायर लेने के लिए जालना गया था । सास अपनी पुत्री के स्थान पर प्रसव में उसकी सहायता करने के लिए गई थी ।

3. जब यह स्थिति थी, तब तारीख 2/3 अगस्त, 2006 की मध्यवर्ती रात्रि में लगभग 2.30 बजे से 3.00 बजे पूर्वाह्न में आग लगने की एक घटना घटी और जिस मकान में अपीलार्थी और उसका परिवार रह रहे थे वह आग से जल गया । अपीलार्थी, जो मकान में ही थी, ठीक-ठाक बाहर निकल आई थी जबकि गुलाब की पहली पत्नी मंडाबाई और उनकी पुत्री निकिता दाह क्षतियों के साथ मकान से बाहर निकली थी, जबकि उनके पुत्र आकाश की मकान के अंदर ही जलकर मृत्यु हो गई थी । अपीलार्थी का ससुर कथित रूप से मकान के बाहर एक चारपाई पर सो रहा था और हड़बड़ाहट में उठने पर उसने अपनी पुत्रवधु मंडाबाई और पौत्री निकिता को पहुंची क्षतियों को देखकर अपने नौकर पीराजी मंकारी को एक जीप लाने और उन्हें अस्पताल स्थानांतरित

करने का निदेश दिया जहां अगले दिन उक्त मंडाबाई और उसकी पुत्री निकिता की उन्हें पहुंची दाह क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई ।

4. अपीलार्थी के ससुर अर्थात् गजानन ने एक शिकायत दर्ज की और अपीलार्थी को भी आलिप्त किया । इस आलोक में, मृतका की बहिन छाया द्वारा किए गए अभिकथन को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के पति और सास को भी सम्मिलित किया गया तथा अपराध के लिए उन्हें अभियुक्त सं. 2 और 3 के रूप में आरोपित किया गया । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 9 की परीक्षा की और विचारण न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त सं. 2 और 3 के विरुद्ध मामले को साबित नहीं किया गया है और उन्हें आलिप्त करने के लिए अभि. सा. 2 का साक्ष्य भरोसेमंद नहीं है । तथापि, जहां तक इस अपील में अपीलार्थी का संबंध है, सेशन न्यायालय ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के इस साक्ष्य पर विचार किया कि अपीलार्थी भी मृतका के साथ सो रही थी और उस परिस्थिति में यह राय व्यक्त की कि यदि मकान में दुर्घटनावश आग लगी थी तब अपीलार्थी को भी क्षतियां पहुंचनी चाहिए थी । चूंकि वह किन्हीं क्षतियों के बिना मकान से बाहर आई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह दोषी है । विचारण न्यायालय द्वारा पाई गई अन्य परिस्थितियां यह थीं कि स्थल पंचनामा से यह उपदर्शित होता है कि मृतका निकिता का फ्राक घटनास्थल से अभिगृहीत किया गया था और रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट यह थी कि इस पर मिट्टी के तेल के धब्बे थे । जैसा कि अभि. सा. 8, पुलिस उप निरीक्षक केर्बा बालाजीराव फाद द्वारा कथन किया गया है, झाड़ियों से एक केन की बरामदगी की गई थी जिसमें से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, उस पर बरामदगी पंचनामा प्रदर्श-41 के संदर्भ में विचार किया गया था ।

5. सेशन न्यायालय की यह राय थी कि अपीलार्थी का एक प्रबल हेतु था और यह कृत्य कारित करने का अवसर था । यह अभिनिर्धारित किया कि यदि अपीलार्थी को अपवर्जित किया जाए, तो किसी अन्य व्यक्ति के वास्तविक अपराधी होने की एक युक्तियुक्त संभाव्यता होनी चाहिए थी, इसलिए यह दर्शित करने के बारे में कि सभी

अधिसंभाव्यताओं में अपराध अवश्य अपीलार्थी द्वारा कारित किया गया होगा, साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण होने की बात पर विचार किया जा सकता है । चूंकि अपीलार्थी उसी कमरे में सो रही थी जिसमें मृतका सो रही थी और अपीलार्थी को कोई क्षतियां नहीं पहुंची थीं, इस परिस्थिति को दुर्घटनावश आग लगने की संभाव्यता को नकारने वाली परिस्थितियों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था । चूंकि अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह कोई दाह क्षति पहुंचे बिना कैसे कमरे से बाहर आई थी और मृतका मंडाबाई को क्षतियां पहुंची थीं और निकिता के फ्राक पर मिट्टी के तेल के अवशेष पाए गए थे, सेशन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी ने मकान को आग लगाई थी । यह तथ्य कि वह दूसरी पत्नी थी और अपीलार्थी के पति ने अपनी भूमि को मृतका मंडाबाई के पक्ष में अंतरित करने के लिए एक करार निष्पादित किया था, इसे अपराध कारित करने के हेतु के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था, विशिष्ट रूप से चूंकि वह मकान में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी ।

6. उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए न्यायिकेतर संस्वीकृति की बात को त्यक्त कर दिया और अभि. सा. 1 के साक्ष्य को भी अविश्वसनीय माना, जिसका सेशन न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया था । उच्च न्यायालय का यह मत था कि गजानन (अभि. सा. 1), ससुर, जो इत्तिलाकर्ता था, अपीलार्थी को अपने पुत्र की दूसरी पत्नी के रूप में खुशी-खुशी स्वीकार नहीं कर सकता था जबकि वह पहले से ही मृतका मंडाबाई के साथ विवाहित था । उच्च न्यायालय के लिए यही कारण था कि उसने कथित रूप से ससुर को की गई इस न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब लेना उचित नहीं समझा कि उसने मिट्टी का तेल छिड़का था और आग लगा दी थी । इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का यह उपदर्शित करते हुए उचित ही उल्लेख किया था कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य होता है ।

7. उच्च न्यायालय ने उसके पश्चात् अपीलार्थी के बताने पर, जब वह पुलिस अभिरक्षा में थी, मिट्टी के तेल की केन की बरामदगी के संबंध

में विजय (अभि. सा. 4) और पुलिस उप निरीक्षक फाद (अभि. सा. 8) के माध्यम से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार किया । इस बरामदगी को अविश्वसनीय पाया गया चूंकि उक्त केन को रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था । अत: सेशन न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई उक्त परिस्थिति को भी त्यक्त कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त, मौखिक मृत्युकालिक कथन, जो कथित रूप से मृतका की एक बहिन छाया (अभि. सा. 2) को किया गया था, पर विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा इसका भी अनुमोदन किया गया और इसे विश्वसनीय नहीं पाया गया । पुलिस हैड कांस्टेबल द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर विचार किया गया था । उच्च न्यायालय अंततोगत्वा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी अपराध कारित करने की दोषी है चूंकि स्वीकृत रूप से अपीलार्थी को आग के कारण थोड़ी-सी भी क्षति नहीं पहुंची थी जिसका यह अर्थ है कि वह आग फैलने से पहले ही घर से निकल गई थी । अपीलार्थी के विरुद्ध अभिनिर्धारित की गई परिस्थिति यह है कि उसने मृतका मंडाबाई और उसके बालकों को मकान से निकलने के लिए चौकन्ना नहीं किया था जिससे कि उन्हें आग से बचाया जा सके और न ही छोटे बालकों को उनकी जान बचाने के लिए मकान से बाहर लाने की कोशिश की थी । उच्च न्यायालय ने आगे यह धारणा बनाई कि उसने तुरंत शोर नहीं मचाया था और तब तक प्रतीक्षा की थी जब तक मृतका मंडाबाई और उसके बालक पूरी तरह से आग की लपटों में घिर नहीं गए थे ।

8. उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्ति परिस्थिति को निर्दिष्ट करने के पश्चात् अंततोगत्वा अपना निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किया :–

> "26. सभी उपरोक्त परिस्थितियां अपीलार्थी की दूषित मानसिकता के बारे में प्रबल प्रमाण हैं । उसने केवल उसके पश्चात् ही जब उसने मृतका मंडाबाई को अपनी जलती हुई पुत्री के साथ बाहर आते हुए देखा तब उसने यह दिखाने के लिए शोर मचाया था कि वह पूरी तरह से निर्दोष है । इन परिस्थितियों में, उसके शरीर पर कोई क्षति न होना अपीलार्थी की दूषित मानसिकता को सिद्ध

करने के लिए एक तात्विक परिस्थिति है । ऐसा होते हुए भी, केवल इस कारण कि मृतका मंडाबाई ने यह कथन किया था कि उसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई संदेह नहीं है और विशिष्ट रूप से घटना के पीछे अपीलार्थी के विरुद्ध कोई संदेह व्यक्त नहीं किया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 37 और 38) अपीलार्थी की निर्दोषिता को सिद्ध करने के लिए उसके लिए उपयोगी होगा ।

27. मृतका निकिता का जला हुआ फ्राक पंचनामा (प्रदर्श-34) द्वारा अभिगृहीत किया गया था । पुलिस उप निरीक्षक फाद (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य (प्रदर्श-48) दिया था कि उसने उक्त फ्राक को विश्लेषण के लिए रासायनिक विश्लेषक के पास भेजा था । रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रदर्श-50) से दर्शित होता है कि फ्राक पर मिट्टी के तेल के अवशेष पाए गए थे । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मृतका नितिका को आग लगाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया गया था ।

28. विवाह प्रमाण पत्र (प्रदर्श-29) से दर्शित होता है कि अपीलार्थी और अभियुक्त सं. 2 के विवाह को तारीख 28 फरवरी, 2006 को रजिस्ट्रीकृत किया गया था । करार (प्रदर्श-31) तारीख 27 फरवरी, 2006 को अर्थात् अपीलार्थी का अभियुक्त सं. 2 के साथ विवाह के रजिस्ट्रीकरण से एक दिन पूर्व निष्पादित किया गया था । इस करार की अंतर्वस्तुओं से यह प्रतीत होता है कि मृतका मंडाबाई अपीलार्थी का अभियुक्त सं. 2 के साथ विवाह होने के पश्चात् अपने भविष्य के बारे में संदेहशील थी । इसलिए उसने अभियुक्त सं. 2 से यह लिखित आश्वासन अभिप्राप्त किया था कि अपीलार्थी के साथ उसके विवाह के पश्चात् वह मृतका मंडाबाई और उसके बालकों की उचित रूप से देखभाल करेगा । अभियुक्त सं. 2 ने मृतका मंडाबाई के नाम में कतिपय भूमि का अंतरण करने का भी आश्वासन दिया था । अपीलार्थी विवाह के पश्चात् अभियुक्त सं. 2 के मकान में रहने लगी थी । अपीलार्थी तथा मृतका मंडाबाई द्वारा एक-दूसरे पर प्रधानता बनाए रखना पूरी तरह स्वाभाविक बात थी

जिससे पारिवारिक विषयों में नियंत्रण हो सके । मृतका मंडाबाई और उसके बालक निश्चित रूप से मकान में अपीलार्थी की श्रेष्ठता स्थापित होने में आड़े आए होंगे । किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा हेतु को सिद्ध करना कठिन है । विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए । तथ्यों और साक्ष्य से प्रकट होने वाली परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि मकान में अपीलार्थी का वर्चस्व रहे, इसलिए उसने मृतका मंडाबाई और उसके बालकों को समाप्त कर दिया ।

29. घटना की रात्रि में मकान के अंदर मृतका मंडाबाई और उसके बालकों के अतिरिक्त केवल अपीलार्थी थी । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वह आग फैलने से काफी पहले मकान से बाहर आ गई थी । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए वह उन परिस्थितियों को, जिनमें आग लगी थी, स्पष्ट करने के लिए बाध्यताधीन थी जो उसकी विशेष जानकारी में थीं । उसने आग लगने के बारे में कोई स्पष्टीकरण देकर इस भार का कतई निर्वहन नहीं किया था । इन सभी परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि वह अपीलार्थी ही है जिसने मृतका मंडाबाई और उसके बालकों पर मिट्टी का तेल छिड़का था और उन्हें आग लगा दी थी ।

30. अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध किया है कि वह केवल अपीलार्थी ही है जिसने मृतका मंडाबाई और उसके बालकों को अभियुक्त सं. 2 के साथ अपने वैवाहिक जीवन से उन्हें दूर करने की दृष्टि से आग लगाई थी । ऐसी स्थिति में, चिकित्सा साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मृतका मंडाबाई और उसके बालकों की मृत्यु निश्चित रूप से मानव वध है । अपीलार्थी ने निवास-गृह को आग लगाई थी । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 436 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था ।

हम उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए

विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं । हम विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किए गए दंडादेश के आदेश से भी सहमत हैं । अपील सारहीन है । इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए ।"

9. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सुधांशु एस. चौधरी और प्रत्यर्थी-महाराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सचिन पाटिल को सुनने के पश्चात् हमने अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन किया ।

10. जैसा कि उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से यह उपदर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को विश्वसनीय न होने के कारण त्यक्त कर दिया गया था किंतु अंततोगत्वा निष्कर्ष केवल इस तथ्य के आधार पर बनाई गई धारणा के आधार पर निकाला गया था कि आग लगने की दुर्घटना में अपीलार्थी को क्षतियां नहीं पहुंची थी । निस्संदेह यह सत्य है कि इस मामले में जो दुर्घटना घटी थी, यदि किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थी तो यह निश्चित रूप से घृणास्पद है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जिनमें दो छोटे बच्चे थे और यह बात अक्षम्य है । तथापि, ऐसे मामले में जहां अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही मुख्य रूप से उस न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर की गई थी जो कथित रूप से उसने अपने ससुर अर्थात् गजानन (अभि. सा. 1) के समक्ष की थी और उक्त साक्ष्य को उच्च न्यायालय द्वारा भरोसेमंद न होने के कारण विश्वसनीय नहीं पाया गया था, मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है या नहीं ।

11. हमने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों और निकाले गए निष्कर्ष को इस आदेश के पूर्ववर्ती भाग में केवल यह उल्लेख करने के लिए उद्धृत किया है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को युक्तियुक्त संदेह के परे निष्कर्ष पर पहुंचने की बजाय कमोवेश अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर दोषी अभिनिर्धारित किया है । यद्यपि उसने अपने अंतिम पैरा में 'युक्तियुक्त संदेह के परे' वाक्यांश का प्रयोग किया

है, तो भी इससे पूर्ववर्ती दिए गए कारण केवल अटकलबाजी और अनुमान हैं । उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य के प्रतिनिर्देश करते हुए उल्लिखित एकमात्र परिस्थिति यह है कि मृतका नितिका का जला हुआ फ्राक एक पंचनामा (प्रदर्श-34) द्वारा अभिगृहीत किया गया था और अभि. सा. 8 का यह साक्ष्य है कि फ्राक को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था और रिपोर्ट, प्रदर्श-50, के अनुसार यह दर्शित होता है कि फ्राक पर मिट्टी के तेल के अवशेष पाए गए थे । इस परिस्थिति में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका नितिका को आग लगाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया गया था । यदि इस बात को श्रृंखला की एक परिस्थिति के रूप में लिया गया था, तो भी श्रृंखला में की अन्य परिस्थितियां अपीलार्थी की ओर इंगित करने के लिए इसमें जुड़े बिना यह परिस्थिति अपर्याप्त थी । इस संबंध में, उल्लेखनीय सुसंगत बात यह है कि उच्च न्यायालय ने अपने कारणों के पूर्ववर्ती भाग में केन, जिसमें से कथित रूप से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, की बरामदगी को अविश्वसनीय माना था चूंकि उक्त केन को रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था और उस परिस्थिति पर भी विश्वास नहीं किया था जिसमें इसे कथित रूप से बरामद किया गया था ।

12. ऐसी स्थिति में, यदि फ्राक के प्रतिनिर्देश करते हुए रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है तो अभिलेख पर यह संबद्ध करने के लिए कुछ नहीं है कि अपीलार्थी मिट्टी का तेल छिड़कने के लिए या निकिता के फ्राक को, जो कथित रूप से घटनास्थल से बरामद हुआ था, मिट्टी के तेल के संपर्क में लाने के लिए उत्तरदायी थी । इसके अतिरिक्त, मृतका मंडाबाई के तारीख 3 अगस्त, 2006 के कथन से यह प्रकट होता है कि चूंकि खेत में विद्युत नहीं है इसलिए वे मकान में सोते थे और रात्रि में एक लालटेन की रोशनी रखते थे जिसके लिए निश्चित रूप से मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त, साक्ष्य में यह आया है कि उक्त मकान में भोजन भी बनाया जाता है और डीजल केन सहित ट्रैक्टर से संबंधित सामग्री भी उसमें रखी जाती है । इसलिए यह परिस्थिति कि अपीलार्थी इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, फ्राक पर मिट्टी के तेल के धब्बों की मौजूदगी का

अवलंब लेने के लिए ऐसी परिस्थिति के रूप में आधार नहीं हो सकता है कि उसने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई थी ।

13. विधि की यह स्थिति सुस्थिर है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ियों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है । यह बात **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस राज्य के एक पूर्ववर्ती विनिश्चय में सुस्पष्ट किया गया है । सुसंगत पैरा निम्नलिखित हैं :–

> "153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म-विश्लेषण से पता चलता है कि अभियुक्त के प्रतिकूल मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं –
>
> (1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ।
>
> यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी' या 'की जानी चाहिएं न कि की जा सकती हैं' । 'साबित की जा सकती है' और 'साबित करनी होंगी या की जानी चाहिएं' में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, [1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793 में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –
>
> > 'निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी 'होना चाहिए' न कि केवल 'दोषी हो सकता है' और 'हो सकता है' तथा 'होना चाहिए' के बीच मानसिक अंतर बहुत लम्बा है, और अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।'

---

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिए ;

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय संभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

154. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत हैं, यदि हम ऐसा कह सकते हैं । ये पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी पक्षकथन के सबूत के पंचशील सिद्धांत हैं ।

159. यह देखने में आता है कि इस न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति या मिथ्या स्पष्टीकरण पर विचार करते समय यह अभिनिर्धारित किया था कि श्रृंखला को पूरा करने वाली एक अतिरिक्त कड़ी होगी किंतु ये मत उस परिप्रेक्ष्य में पढ़े जाने चाहिएं जो कुछ इस न्यायालय ने पहले कहा था अर्थात् यह कि इससे पहले कि मिथ्या स्पष्टीकरण का इस्तेमाल अतिरिक्त सूत्र के रूप में किया जाए, निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें पूरी की जानी चाहिएं –

(1) अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य की श्रृंखला की विभिन्न कड़ियां समाधानप्रद रूप से साबित कर दी गई हों,

(2) उक्त परिस्थिति युक्तियुक्त निश्चितता के साथ अभियुक्त की दोषिता का संकेत देती हों, और

(3) वह परिस्थिति समय और स्थिति की दृष्टि से नैकट्य में हो ।

160. यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तभी यह न्यायालय मिथ्या स्पष्टीकरण या मिथ्या प्रतिरक्षा को अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है ताकि न्यायालय को विश्वास दिलाया जा सके, अन्यथा नहीं । प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला ऐसा प्रतीत नहीं होता । विषय के इस पहलू पर **शंकर लाल,** [1981] 2 एस. सी. आर. 384/390 वाले मामले में विचार किया गया था । उस मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था –

'इसके अतिरिक्त मिथ्या प्रतिरक्षा तथ्यों के सबूत का स्थान नहीं ले सकती जो कि अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए सिद्ध करना होगा । मिथ्या अभिवाक् अधिक से अधिक एक अतिरिक्त परिस्थिति माना जा सकता है यदि अन्य परिस्थितियां निश्चित रूप से अभियुक्त की दोषसिद्धि का संकेत करती हैं ।'"

14. इसके अतिरिक्त, मात्र संदेह तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पारिस्थितिक साक्ष्य से यह निष्कर्ष न निकलता हो कि "यह सत्य है" न कि "सत्य हो सकता है" । इस संबंध में, **देवी लाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें इस न्यायालय ने **शरद बिरधीचंद शारदा** (उपर्युक्त) वाले मामले का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

"17. सुजीत बिस्वास **बनाम** असम राज्य, [(2019) 19 एस. सी. सी. 447] और राजा **उर्फ** राजिन्द्र **बनाम** हरियाणा राज्य

---

[1] (2019) 19 एस. सी. सी. 447.

[(2015) 11 एस. सी. सी. 43] वाले मामलों में भी इस पर विचार किया गया था । यह प्रतिपादित किया गया कि न्यायालय को पारिस्थितिक साक्ष्य की संवीक्षा करते समय इसका यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता की किसी युक्तियुक्त संभावना को नकारने के लिए घटनाओं की श्रृंखला स्पष्ट और पूर्ण रूप से सिद्ध होती है । अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि क्या श्रृंखला पूर्ण है या नहीं, वास्तव में, यह बात साक्ष्य से प्रकट प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी और कोई ऐसा नियमनिष्ठ सिद्धांत नहीं हो सकता जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जा सके । किंतु प्रस्तुत की गई परिस्थितियों पर जब सामूहिक रूप से विचार किया जाए, तो इनसे अवश्य केवल यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त के सिवाय कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अभिकथित अपराध का अपराधी है और परिस्थितियों से केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत निश्चायक प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए ।

18. प्रस्तुत मामले की संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण करने पर और अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में उल्लिखित पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला आरोप को साबित करने के लिए स्पष्ट रूप से अपूर्ण है और उसके आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि करने के लिए लेशमात्र संदेह के बिना असंगत है । यद्यपि, अभिलेख पर की सामग्री से उनके प्रति कुछ संदेह होता है, किंतु अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को "सत्य हो सकता है" के दायरे से उपर उठाकर "सत्य होना चाहिए" के स्तर पर ले जाने में असफल रहा है, जैसा कि किसी दांडिक आरोप के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए विधि में अपरिहार्य रूप से आवश्यक है । यह कहना अतिसामान्य बात है कि दांडिक विचारण में संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है ।

19. इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभिलेख पर पक्षकथन के आधार पर दो मत संभव हों, जिनमें से

एक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करता हो और दूसरा उसकी निदोर्षिता की ओर, तो अभियुक्त वास्तव में उस मत का फायदा प्राप्त करने का हकदार है जो उसके पक्ष में है । किसी दांडिक आरोप पर अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की गुणवता और अंतर्वस्तु को परिभाषित करने वाले न्यायिक रूप से अधिकथित सभी मानदंडों के आधार पर हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मामले में उन मानदंडों को पूर्ण करने में असफल रहा है ।"

15. इस पृष्ठभूमि में, प्रस्तुत मामले में सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का परिशीलन करने पर किसी प्रबल आधार के बिना दोषसिद्धि करने हेतु इनके अंतिम निष्कर्ष के लिए दिए गए कारण संदेहास्पद बन गए हैं । संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है । दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी प्रकृति की मताभिव्यक्तियां करते हुए, जो ऊपर उद्धृत की गई हैं, उसने अंततोगत्वा यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध किया है कि वह अपीलार्थी ही है जिसने अभियुक्त सं. 2 के साथ अपने वैवाहिक जीवन से मंडाबाई और उसके बालकों को हटाने के लिए उन्हें आग लगाई थी । यदि तथ्यों से, जिनका उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, ऐसा संदेह पैदा होता है तो समान रूप से ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनसे यह संदेह पैदा होता है कि क्या अपीलार्थी को केवल इस कारण दोषी ठहराया जा सकता है कि वह घटना में क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी । इस संबंध में, उल्लेखनीय बात यह है कि मानवीय स्वभाव यह है कि जब कोई घटना या दुर्घटना होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया घटनास्थल से दूर हट जाना और अपने आप को बचाने का होता है । यदि मध्य रात्रि में किसी भी कारण से आग लग गई थी और यदि अपीलार्थी जाग उठी थी तथा उसने आग को थोड़ा पहले देख लिया था तो यह स्वाभाविक आचरण है कि जल रहे मकान के अंदर जाकर अन्य निवासियों का हालचाल जानने के बजाय मकान से बाहर भागा जाए । मकान के अंदर वापस जाकर किसी अन्य व्यक्ति को

बचाने के लिए व्यक्ति में अत्यधिक साहस चाहिए या वह अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए और संकट में अपने साथ रह रहे व्यक्ति की सहायता करने के लिए ऐसा न करने से इसे नैतिक रूप से तो गलत समझा जा सकता है किंतु इसे किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए तब तक ऐसी परिस्थिति नहीं कही जा सकती है जो हत्या जितनी गंभीर हो, जब तक कि श्रृंखला में की अन्य परिस्थितियां अभियुक्त को इंगित न करती हों जिनसे उसके दोषी होने का अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकाला जा सके ।

16. यदि अपीलार्थी मंडाबाई को जान से मारने के आशय से आग लगाने के लिए उत्तरदायी थी, तो क्या उसने मकान से बाहर आने के पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिए मकान का दरवाजा बंद नहीं किया होता कि वह बाहर न आ सके । दूसरी ओर, मंडाबाई, जो जीवित बाहर आई थी और एक दिन जीवित रही थी, ने अपीलार्थी सहित किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगाया था या संदेह नहीं किया था । यदि अपीलार्थी किसी कृत्य में अंतर्ग्रस्त होती तो मंडाबाई द्वारा उस स्पष्ट कृत्य के बारे में बताया होता । उसका यह स्पष्ट कथन है कि मकान में आग लग गई थी तथा उसे और उसके बालकों को आग लग गई थी । उसने यह कथन नहीं किया था कि उसे लगाई गई आग मकान में फैल गई थी । इसके अतिरिक्त, यहां तक कि अभि. सा. 1 अर्थात् ससुर गजानन का भी यह कथन है कि वह ठीक मकान के बाहर सो रहा था और अपीलार्थी की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह जाग उठा था और मृतका ने यह कथन किया था कि जब वह बाहर आई थी वह जागा हुआ था । उसने मृतका को बचाने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कुछ नहीं किया था । अपितु मृतका और पौत्री के मकान से बाहर आने के पश्चात् ही कदम उठाए गए थे । एक अन्य परिस्थिति यह भी है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि मकान में तीन कमरे थे, जिनमें से एक अभि. सा. 3 पीराजी मंकारी और उसके परिवार के अधिभोग में था और आग की दुर्घटना ऐसी थी जिसमें संपूर्ण मकान और साथ लगती गोशाला आदि भी बर्बाद हो गए थे । इस स्थिति में भी उक्त पीराजी मंकारी और अन्य व्यक्ति भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे । अत: क्षतिग्रस्त न होने की

बात को ऐसी परिस्थिति के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जिससे मकान को आग लगाने के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके ।

17. उच्च न्यायालय ने इसके पश्चात् दूसरे विवाह, घरेलू वर्चस्व की इच्छा और तारीख 17 फरवरी, 2006 को अर्थात् विवाह के रजिस्ट्रीकरण से एक दिन पूर्व भरणपोषण के लिए दस्तावेज के निष्पादन को परिस्थिति के रूप में अभिनिर्धारित किया है, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं । इसका कारण यह है कि पहली पत्नी के पक्ष में भरणपोषण के लिए संपत्ति के केवल एक भाग के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् विवाह रजिस्ट्रीकृत किया गया था जो कि ऐसी परिस्थिति में एक प्रसामान्य बात है और इसे वहां वर्तमान प्रकृति के अभिकथित अपराध के लिए एक प्रबल हेतु के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जहां अपीलार्थी स्वयं अपने मकान को नष्ट करती और वह भी कोई अन्य घटना न हुए बिना जब वे उसी मकान में एक-साथ रहते थे और आग लगने की घटना विवाह की तारीख से छह माह से अधिक समय के पश्चात् घटी थी । इसलिए यदि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाए तो जो संदेह मन में उद्भूत होते हैं वे अपीलार्थी को इंगित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस परिस्थिति में निश्चित रूप से संदेह का फायदा अपीलार्थी के पक्ष में जाना चाहिए ।

18. उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को मृतका और उसके बालकों पर मिट्टी का तेल छिड़कने और उन्हें आग लगाने का इसलिए दोषी अभिनिर्धारित करना, चूंकि अपीलार्थी आग लगने के कारण को स्पष्ट करने में असफल रही थी, धारा 106 के अधीन स्पष्ट करने की ऐसी बाध्यता को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान परिस्थिति में संधार्य नहीं है । जैसा कि **शरद बिरधीचंद शारदा** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, स्पष्ट करने में असफलता को परिस्थिति की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए केवल एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में अभिनिर्धारित किया जा सकता है । प्रस्तुत मामले में, चूंकि श्रृंखला में की अन्य परिस्थितियां सिद्ध नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अपीलार्थी के विरुद्ध

अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है । दूसरी ओर, पक्षकथन ही यह है कि आग अर्धरात्रि में तब लगी थी जब अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति सो रहे थे और वह चिल्लाते हुए बाहर आई थी । अपीलार्थी द्वारा आग लगने के कारण का स्पष्टीकरण देना केवल तब उद्भूत होता यदि इस आशय का कोई अन्य साक्ष्य होता कि अपीलार्थी पहले से जागी हुई थी और आग लगने से पहले ही बाहर थी ।

19. इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारी यह राय है कि अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने की हकदार है क्योंकि संदेह का फायदा उसके पक्ष में जाता है । अत: हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आदेश को कायम नहीं रख सकते हैं ।

20. परिणामत:, विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2017 को पारित किया गया निर्णय अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी पारुबाई, जो अंतरिम जमानत पर है, मुक्त किया जाता है और उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित हो जाएंगे ।

21. तद्नुसार, यह अपील मंजूर की जाती है ।

22. लंबित आवेदन का, यदि कोई है, निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.